न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश
(पाक्सो अधि0) बुलन्दशहर

फौज0 विविध वाद सं0–336 / 2020.
श्री नवनीत कुमार शर्मा
बनाम
श्री राहुल उपाध्याय,

दिनॉक 15.01.2021

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में श्री नवनीत कुमार शर्मा, सहायक जिला शासकीय अधि0(फौज0) के द्वारा प्रार्थना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–195(1)(बी) सपठित धारा–340 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया। जिसमें अनुरोध किया गया कि श्री राहुल उपाध्याय, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौज0) के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत किया जाय।

उक्त सम्बन्ध में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौज0) श्री राहुल उपाध्याय से आख्या आहूत की गयी। उनके द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी। जिसमें प्रार्थना पत्र उपरोक्त में अंकित समस्त कथनों से इन्कार करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

वर्तमान मामले में ए.डब्लू.–1 वादी श्री नवनीत कुमार शर्मा, ए.डब्लू.–2 अजय कुमार, कोर्ट मोहर्रिर, ए.डब्लू.–3 श्री विनय शर्मा एडवोकेट व ए.डब्लू.–4 मो0 नाजिम अर्दली की सशपथ साक्ष्य अंकित की गयी।

साक्षीगण उपरोक्त द्वारा दिये गये सशपथ बयानो से यह विदित होता है कि श्री राहुल उपाध्याय, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) के द्वारा दिया गया स्पर्ष्टीकरण स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अतः वर्तमान न्यायालय की राय है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर के न्यायालय में श्री राहुल उपाध्याय, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) के विरूद्ध धारा–323, 504 व 228 भा0दं0सं0 के तहत परिवाद दायर करने हेतु भेजा जाय।

परिवाद तैयार कराया गया। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर के यहॉ मय परिवाद सम्पूर्ण पत्रावली भेजी जाय।

15/1/21

(वीरेन्द्र कुमार–III)
अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष
न्यायाधीश (पाक्सो अधि0)
बुलन्दशहर

18.1.21

18 JAN 2021